246/00013 अनारदेई/गोपीचन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बसईनबाब)

पीठासीन अधिकारी –चेतन चौहान आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या–22/2016

1–अनारदेई पत्नी स्व0 उम्मेदसिह। जाति गोलापूरव निवासी नंदपुरा मजरा
2–भीकमसिह पुत्र श्री उम्मेदसिह। बसईनबाब तहसील सैपऊ
3–रामप्रकाश पुत्र श्री कीर्तिराम ।

––––––––––वादी

बनाम

1–गोपीचंद पुत्र श्रीचंद 2–छीतरिया पुत्र कीर्तिराम 3–लक्ष्मीनारायन पुत्र गोपीचदं 4–दीवान पुत्र गोपीचंद जाति त्यागी निवासी नंदपुरा मजरा बसईनबाब तहसील सैपउ जिला धौलपुर।
5–पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबन्धक बसईनबाव तामील जरिये प्रबन्धक
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

–––––– प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव
स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री सुरेन्द्रकुमार दुवे एडवोकेट–वादी
2–श्री गोपीचन्द – प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 04.06.2016

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा 683, 697, 701, 703, 1149, 1155, 1156, 1161, 1163, 1188 एवं 1150 वाके ग्राम नंदपुरा तहसील सैपऊ वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है । भूमि का अभी बटवारा नही हुआ है । अब पक्षकारों के मध्य संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। प्रतिवादीगण से बटवारा कराने की कही तो वह इंकारी हो गये । इसलिए वादी को बटबारा कराना आवश्यक हो गया । वादीगण विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटबारा कराने के

अधिकारी है । अन्त में वादीगण ने विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटवारा कर पृथक से खाता कायम कराने की प्रार्थना की है ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी गोपीचन्द उपस्थित आया जिसने भी भूमि का बटवारा कराये जाने पर सहमति जाहिर की । अन्य प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये । वकील वादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार है । अतः हम दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री कर विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड बटंवारा किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा 683, 697, 701, 703, 1149, 1155, 1156, 1161, 1163, 1188 एवं 1150 वाके ग्राम नदंपुरा तहसील सैपऊ का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। पर्चा प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जावे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(चेतन चौहान)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ

डिकी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बसईनबाब)

व इजलास –चेतन चौहान आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–22/2016

1–अनारदेई पत्नी स्व0 उम्मेदसिह। जाति गोलापूरव निवासी नंदपुरा मजरा
2–भीकमसिह पुत्र श्री उम्मेदसिह। बसईनबाब तहसील सैपऊ
3–रामप्रकाश पुत्र श्री कीर्तिराम ।

————वादी

बनाम

1–गोपीचंद पुत्र श्रीचंद 2–छीतरिया पुत्र कीर्तिराम 3–लक्ष्मीनारायन पुत्र गोपीचदं 4–दीवान पुत्र गोपीचंद जाति त्यागी निवासी नंदपुरा मजरा बसईनबाब तहसील सैपउ जिला धौलपुर।
5–पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबन्धक बसईनबाव तामील जरिये प्रबन्धक
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

——— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव
स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ चेतन चौहान (आर. ए. एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री सुरेन्द्रकुमार दुवे एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री गोपीचन्द प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण प्रारम्भिक डिकी किया जाता है। विवादित आराजी खसरा 683, 697, 701, 703, 1149, 1155, 1156, 1161, 1163, 1188 एवं 1150 वाके ग्राम नदंपुरा तहसील सैपऊ का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 4.6.2016 को जारी की गई ।

उप खण्डाधिकारी
सैपऊ